तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / टीए / 2002 / 2629 / गंगानगर**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

02-5-2019

एकल पीठ

श्री राजेन्द्र कुमार, सदस्य

उपस्थित :–

श्री अमृतपालसिंह, अभिभाषक निगरानीकर्त्ता ।

निर्णय

1. निगरानी याचिका में दर्ज तथ्यों के अनुसार निगरानीकर्त्तागण ने विचारण न्यायालय के समक्ष घोषणा, तकासमा व स्थाई व्यादेश के अनुतोष बाबत राजस्व वाद पेश किया था । उसके साथ अस्थाई व्यादेश की दरखास्त भी पेश की थी । रेस्पोण्डेण्ट चगडसिंह ने भी इसी तरह की एक अस्थाई निषेधाज्ञा की दरखास्त पेश की थी । विचारण न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद वादीगण निगरानीकर्त्तागण की दरखास्त को स्वीकार कर लिया था तथा प्रतिवादी/रेस्पोण्डेण्ट चगडसिंह की दरखास्त को खारिज कर दिया था । विचारण न्यायालय के इस आदेश के विरूद्ध चगडसिंह ने राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर के न्यायालय में एक अपील पेश की थी, जिसे दिनांक 3.5.2002 के आदेश के द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया गया था तथा वादीगण/निगरानीकर्त्तागण के अस्थाई व्यादेश के प्रार्थना – पत्र को खारिज कर दिया गया तथा चगडसिंह के अस्थाई व्यादेश के आवेदन को खारिज करने का आदेश बहाल रख दिया था । अतः वादीगण ने यह निगरानी पेश की है ।

2. इस निगरानी के विचारण के दौरान चगडसिंह के निधन हो जाने के कारण उसके वारिसान को रेकार्ड पर लिया गया है। रेस्पोण्डेंट्स को अपील के नोटिस जारी किये गये थे, किंतु नोटिस की तामील के उपरांत भी वे उपस्थित नहीं हुए । अतः दिनांक 10.8.2017 को उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई थी ।

3. बहस वकील निगरानीकर्त्तागण सुनी गई ।

4. श्री अमृतपालसिंह वकील ने निवेदन किया है कि अस्थाई व्यादेश की दरखास्त स्वीकार करने व काउंटर दरखास्त खारिज करने के आदेश के विरूद्ध प्रतिवादी चगडसिंह को दो पृथक पृथक अपीलें पेश करनी चाहिये थी । उसके द्वारा पेश की गई एक अपील पूर्व न्याय के सिद्धान्त से बाधित थी । इसलिये विद्वान अपीलीय न्यायालय ने उसकी ओर से पेश अपील को स्वीकार करके गंभीर अनियमितता व अवैधानिकता की है। तथ्यों व साक्ष्य से वादग्रस्त आराजी पर निगरानीकर्त्तागण का कब्जा

होना साबित है । इसलिये विचारण न्यायालय ने निगरानीकर्त्तागण की अस्थाई व्यादेश की दरखास्त स्वीकार करके अवैधानिकता नहीं की थी । अपील न्यायालय ने कयास के आधार पर व अवैधानिक रूप से निगरानीकर्त्तागण/वादीगण की अस्थाई व्यादेश की दरखास्त को खारिज किया था, अतः निवेदन किया है कि निगरानी स्वीकार करके विचारण न्यायालय का आदेश बहाल रखा जावे।

5. उक्त तर्कों पर मनन किया गया । पत्रावलियों का अवलोकन किया गया ।

6. विद्वान विचारण न्यायालय ने प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा संतुलन व अपूर्णीय क्षति के बिन्दू वादीगण/निगरानीकर्त्तागण के पक्ष में होना पाये थे। विचारण न्यायालय ने इसका मुख्य आधार वादग्रस्त आराजी निगरानीकर्त्तागण/वादीगण द्वारा जरिये बैनामा क्रय कर कब्जा प्राप्त करना बताया है । विद्वान विचारण न्यायालय के यह निष्कर्ष अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के अनुसार सही थे । इसके अलावा विचारण न्यायालय के इस आदेश को प्रतिवादी चगडसिंह ने केवल एक अपील प्रस्तुत करके चुनौती दी थी । जबकि वादीगण की अस्थाई व्यादेश की दरखास्त स्वीकार करने व काउंटर क्लेम खारिज करने के आदेश के विरूद्ध दो पृथक–पृथक अपीलें प्रस्तुत होनी चाहिये थी । इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एआईआर 1993 एससी 1202 प्रीमियर टायर्स लिमिटेड बनाम केरल स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त महत्वपूर्ण है । हांलाकि यह सिद्धान्त दो वादों में पारित निर्णयों एवं डिक्रियों के परिप्रेक्ष्य में पारित किया गया था, किंतु विविध आवेदन पत्रों पर भी अपील होने की दशा में यह सिद्धान्त पूर्ण रूप से लागू होता है । ऐसी स्थिति में प्रतिवादी चगडसिंह की ओर से प्रस्तुत मात्र एक अपील में विद्वान अपीलीय न्यायालय ने विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करके अवैधानिकता की है इसलिये आक्षेपित निर्णय काबिले अपास्त है ।

7. लिहाजा यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 3.5.2002 को अपास्त किया जाता है तथा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.12.2000 को बहाल किया जाता है ।

निर्णय सुनाया गया ।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(राजेन्द्र कुमार)
सदस्य